# न्यायालयः—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुड़ोपा)

<u>दांडिक प्रकरण क0-132/07</u> संस्थापित दिनांक 23/09/2000 फाईलिंग नं. 233504000012000

मध्य प्रदेश शासन द्धारा आरक्षी केन्द्र, थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म०प्र०)

----<u>अभियोजन</u>

### —: विरुद्ध :—

संजय पिता रोड़या, उम्र 38 वर्ष, जाति मांग, नि0 खेड़लीबाजार, थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म0प्र0)

---- <u>अभियुक्त</u>

## <u>—: निर्णय :—</u> (आज दिनांक 21 / 12 / 2016 को घोषित)

अभियुक्त संजय के विरूद्ध भा0दं0वि० की धारा 457, 380 सहपठित धारा-511 के तहत् अभियोग है कि दिनांक 12/08/00 के रात 12 बजे खेड़लीबाजार में प्रार्थी लक्ष्मीबाई के रहवासी मकान में छत के कवेलू हटाकर चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि गृहभेदन किया। आपने प्रार्थी के आधिपत्य का एक टेप बेईमानी पूर्वक चोरी करने के आशय से निकालकर चोरी करने का प्रयत्न किया। अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम खेडली बाजार रहती है। घरेलु कार्य करती है। उसके दो लडके है जिनका नाम हुकुम और कप्तान है कल दोनों बैतूल हुकुम की ससुराल में सावन करने गये है। वह घर में अकेली थी रात करीब 12 बजे की बात है वह उसके घर के दरवाजे का ताला अंदर से बंद करके सोई थी। तभी उसके मकान के अंदर एक आदमी कुदा उसकी नींद खुली उसने देखा कि उसके घर के उपर छत में कवेली उलटे थे उसने उसके घर के अंदर कुदा था। संजय मांग जो कि उसके पडोस में ही रहता है जो उसके घर चोरी करने की नियत से कुदा था उसने उसके घर का टेप खिसका लिया था उसने उसी समय जोर से हल्ला किया तो सहदेव मांग और उसकी जात का बैसाकू ढीमर और मुन्ना ढीमर दौडकर आये उन्होंने संजय को घर के अंदर से बाहर निकाला। उसने और आये हुये लोगों ने रात को उसके घर आया है संजय आज सबेरे सरपंच अनिल और कोटवार मथुरादास के साथ संजय मांग को लेकर थाने रिपोर्ट करने आया। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी० 5 है जिसके ए से ए भाग पर एस०एस० ठाकुर के हस्ताक्षर है। जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्व अपराध क्रमांक 132/2000 भा.द.सं धारा—457, 380 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 13/08/2000 को घटना स्थल का घटना नक्शा मौका प्र0पी0 1 बनाया गया, साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया, दिनांक 13/08/2000 को गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 6 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

4— प्रकरण में धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण के दौरान अभियुक्त ने अपने सामान्य परीक्षा में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रकरण में बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

### 5— —: न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :--

- 1— "क्या दिनांक 12/08/00 के रात 12 बजे खेड़लीबाजार में प्रार्थी लक्ष्मीबाई के रहवासी मकान में छत के कवेलु हटाकर चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि गृहभेदन किया?"
- 2— उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने प्रार्थी के आधिपत्य का एक टेप बेईमानी पूर्वक चोरी करने के आशय से निकालकर चोरी करने का प्रयत्न किया?"

## -: <u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>:-विचारणीय प्रश्न क0 1, 2 का निराकरण

- 6— अभियोजन साक्षी मथरादास (अ.सा.01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह घटना के समय वह ग्राम कोटवार था। लक्ष्मीबाई ने उसे बताया था कि उसके घर में हाजिर आरोपी संजय आ गया था। लक्ष्मीबाई ने उसे उसके घर में आरोपी के रात में घुसने वाली बात बतायी थी। लक्ष्मीबाई ने बताया था कि उसने दरवाजा बंद करके रखा था और आरोपी संजय ने दरवाजा खोलकर अंदर आ गया था और कुछ नहीं बताया था। इस गवाह ने सूचक प्रश्न में स्वीकार किया है कि आरोपी संजय मांग लक्ष्मीबाई के घर में घुसने की खबर मिलने पर लक्ष्मीबाई के घर जाकर देखा था उसके घर के कवेलु निकले हुये थे। आगे यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी संजय के लक्ष्मीबाई के घर में घुसने तथा लक्ष्मीबाई के कवेलु निकले होने वाली बात उसने गांव के सरपंच अनिल को बताया था। आगे यह भी स्वीकार किया है कि सरपंच अनिल ने घटना की थाने में रिपोर्ट करने को कहा था फिर वे फरियादी लक्ष्मीबाई को लेकर थाना बोरदेही गया था।
- 7— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि लक्ष्मीबाई ने उसे इतना बताया था कि रात में कोई व्यक्ति कवेलू उतार कर उसके मकान में घुस गया था किसी का नाम नहीं बताया था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि नक्शा मौका प्र0पी0 1 पर हस्ताक्षर लेते समय पुलिस ने कोई लिखा पढ़ी नहीं की थी और कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिये थे। इस प्रकार इस गवाह के मुख्यपरीक्षा में यह बताया जाना की अभियुक्त संजय

फरियादी लक्ष्मीबाई के घर में घुसा था, किन्तु प्रतिपरीक्षा में यह व्यक्त करना की फरियादी लक्ष्मीबाई ने संजय का नाम नहीं बताया था। यह साक्षी अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में स्थिर नहीं है। साथ ही इस प्रकरण में फरियादी लक्ष्मीबाई की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। क्योंिक वह घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है और वह महत्वपूर्ण साक्षी है जो कि फौत हो चुकी है। यह गवाह सुनी सुनाई बात को न्यायालय के समक्ष बताया है और यह गवाह सूचक प्रश्न के तथ्यों से प्रतिपरीक्षा में स्थिर नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इस गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्त संजय फरियादी के रहवासी मकान में छत के कवेलू हटाकर चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रोगृह भेदन कारित किया और इस गवाह की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्त संजय प्रार्थी के आधिपत्य का एक टेप बेईमानी पूर्वक चोरी करने के आशय से निकालकर चोरी करने का प्रयत्न किया।

- 8— अभियोजन साक्षी सहदेव (अ.सा. 2), अभियोजन साक्षी बैसाखू (अ.सा. 3), अभियोजन साक्षी मुन्ना (अ.सा.4) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।
- 9— अभियोजन साक्षी मंगलिसंह ठाकरे (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी० 5 लेख की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने उसी दिनांक को घटना स्थल पर जाकर प्रार्थिया लक्ष्मीबाई की निशादेही पर गवाह मथुरादास के समक्ष घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी० 1 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने उसी दिनांक को गवाह मथुरादास एवं रघुनाथ के समक्ष आरोपी संजय को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी० 06 तैयार किया गया जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने उसी दिनांक को प्रार्थीया लक्ष्मीबाई, गवाह सहदेव, मथुरादास, मुन्ना, बैसाखू के बयान उनके बताये अनुसार लेख किया था जिसमें कुछ जोडा या बढाया नहीं था।
- 10— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 03 में स्वीकार किया है कि उसके द्वारा कोई कार्यवाही उसके मन से नहीं की गई है। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि उसने अपने मन से ही एफ.आई.आर लेख की थी। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा थाने पर ही बैठकर घटना का मौका नक्शा तथा गवाहों के कथन लेखबद्ध किये थे। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि वह घटना स्थल पर नहीं गया था। साक्षी ने स्वतः कहा कि उसके द्वारा फरियादी की निशानदेही पर मौका नक्शा बनाया गया था। यह गवाह विवेचना अधिकारी है और घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। घटना के साक्षियों ने घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है। ऐसी परिस्थित में विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही महत्वहीन हो जाती है।
- 11— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने प्रार्थी लक्ष्मीबाई के रहवासी मकान में छत के कवेलु हटाकर चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि गृहभेदन किया और यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने प्रार्थी के आधिपत्य का एक टेप बेईमानी पूर्वक चोरी करने के आशय से निकालकर चोरी करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं0 1, 2 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।
- 12— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से

परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने प्रार्थी लक्ष्मीबाई के रहवासी मकान में छत के कवेलु हटाकर चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि गृहभेदन किया। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने प्रार्थी के आधिपत्य का एक टेप बेईमानी पूर्वक चोरी करने के आशय से निकालकर चोरी करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार भादं0वि0 की धारा 457 एवं 380 सहपठित धारा 511 का आरोप प्रमाणित न पाये जाने से उक्त अपराध में अभियुक्त संजय को दोषमुक्त किया जाता है।

13— प्रकरण में धारा 313 द0प्र0सं० के पूर्व प्रस्तुत आरोपी का मुचलका भारमुक्त किए जाता है एवं अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

14— प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।
निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0